(केवल कार्यालयीन उपयोग हेतु)

सत्यमेव जयते

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS

ट्रेनों के स्टेबलिंग एवं सिक्योरिंग के लिए सुरक्षा सावधानियां

उपयोगकर्ता : लोको पायलट एवं ऑपरेटिंग स्टाफ

कैमटेक / वि/ २०२०-२१/ सिक्योरिंग ऑफ ट्रेन्स /१.०

नवम्बर २०२०

Indian Railways
Centre for Advanced Maintenance Technology

महाराजपुरा, ग्वालियर – ४७४ ००५

प्रस्तावना

- रेलवे परिचालन के लिए स्टेशन यार्ड्स एवं ब्लॉक सेक्शन में इमरजेंसी के दौरान गाड़ियों के बार-बार स्टेबलिंग एवं सिक्योरिंग होने की आवश्यकता होती है। सुरक्षित संचालन के लिए इन ट्रेनों/ लाइट इंजन/ वैगनों आदि का उचित स्टेबलिंग एवं सिक्योरिंग होना बहुत आवश्यक है।

- विगत समय में अनुचित स्टेबलिंग एवं सिक्योरिंग के कारण रोल डाउन के कई मामले हुए हैं, जिसके परिणामस्वरूप पटरी से उतरना और दुर्घटनाएं हुईं हैं जैसे कि टिटलागढ़ रेलवे स्टेशन पर कोचिंग रेक का रोल डाउन होना, जहां अहमदाबाद से चल कर पुरी को जाने वाली ट्रेन का पावर रिवर्स हो रहा था, इस दौरान टीएक्सआर स्टाफ ने पूरी गाड़ी के ब्रेक मैन्युअली रिलीज कर दिये। अनुचित स्टेबलिंग एवं सिक्योरिंग के कारण, गाड़ी बिना पावर रोल डाउन हो गई और अगले स्टेशन केसिंगयार्ड में जा कर रुकी।

उक्त घटना के निम्न कारण थे:

1. एसएलआर में हैण्ड ब्रेक नहीं लगाया गया था।
2. एसएलआर के नीचे वुडेन वेजेस नहीं लगाये गये थे।
3. टीएक्सआर स्टाफ ने पूरी गाड़ी के ब्रेक रिलीज कर दिये थे।

➪ भविष्य में इस तरह के मामलों से बचने के लिए कैमटेक, ग्वालियर द्वारा स्टेशन/ परिचालन स्टाफ एवं लोको/ सहायक लोको पायलटों के उपयोग के लिए गाड़ियों के उचित स्टेबलिंग एवं सिक्योरिंग के लिए एक पेम्फलेट तैयार किया है।

स्टेशन एवं ब्लॉक सेक्शन में वाहन/ लोड/ गाड़ी/ लोकोमोटिव को स्टेबल एवं सिक्योर करना

1. जब वाहन/ लोड/ गाड़ी को स्टेशन पर स्टेबल करना हो तो स्टेशन मास्टर/ परिचालन कर्मचारी द्वारा की जाने वाली कार्यवाही :

❖ कम से कम दो चेन दोनों छोर पर एक-एक का उपयोग करते हुए वाहन/ लोड/ गाड़ी को चेन से बांध कर ताला लगाएँ।

❖ दोनों छोरों पर बाहरी पहियों के नीचे प्रत्येक छोर पर दो वेजेस का उपयोग करते हुए कम से कम चार स्प्रैग/ वुडन वेजेस का उपयोग किया जाए।

❖ दोनों छोर के कम से कम 6 मालडिब्बों के हैंड ब्रेकों को पूरी तरह लगाया जाए। कोचिंग वाहन के स्टेबल रहने की स्थिति में, एसएलआर में स्थित गार्ड के हैंड ब्रेकों को लगाया जाए।

☞ हैंड ब्रेकों का प्रचालन गार्ड के व्यक्तिगत पर्यवेक्षण के अधीन होगा और गार्ड की अनुपस्थिति में ड्यूटी पर कार्यरत स्टेशन मास्टर/ सहा. स्टेशन मास्टर के व्यक्तिगत पर्यवेक्षण के अधीन होगा।

❖ स्टेबल लोड/ गाड़ी के वाहन को एक दूसरे के साथ जुड़ा होना चाहिए। यदि स्टेबल लोड किसी कारणवश अलग हुआ हो तो प्रत्येक अलग हुये भाग को सुरक्षा के प्रयोजन से पृथक लोड के रूप में समझा जाए।

- ब्लॉक हुई लाईन एवं अंतिम छोर अथवा ट्रैप पॉइंट (यदि उप्लब्ध हो) के पॉइन्टों को सेट, क्लेम्प एवं ताला लगाया जाए।
- स्कॉच ब्लॉक का उपयोग किया जाए (यदि उप्लब्ध हो)।

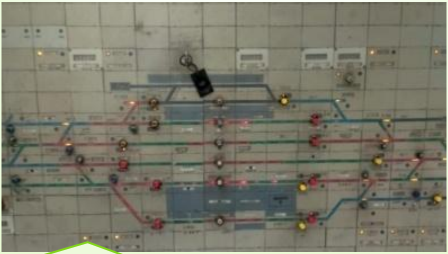

❖ स्टॉप कॉलर को संबद्ध सिग्नल एवं पॉइन्ट बटनों/ स्लाइडों/ लीवरों आदि पर रखा जाए।

- टीएसआर अथवा/ एवं एसएम डायरी में लाल स्याही से टिप्पणी लिखी जानी चाहिए कि लाईन नं........ ब्लॉक किया गया है और लोड की सिक्योरिंग के लिए जैसा की ऊपर निर्दिष्ट है, सभी सावधानियां बरती गई हैं।

- किसी लोड/ गाड़ी/ लोको के स्टेबल होने के बाद, स्टेशन मास्टर सेक्शन कंट्रोलर को अवश्य सुचित करेगा और उसके समर्थन में प्राइवेट नंबर का आदान-प्रदान करेगा कि लोड/ गाड़ी/ लोको को स्टेबल एवं सिक्योर रखने के लिए सभी निहित सावधानियां बरती गई है।

2. वाहन/ लोड/ गाड़ी को 1 इन 400 की ढलान अथवा तीव्रतर ढलान वाले स्टेशन में स्टेबल करने के लिए अतिरिक्त सावधानियां बरती जाए जैसा कि अनुमोदित विशेष अनुदेश (आयुक्त रेल संरक्षा द्वारा) निर्दिष्ट है और सम्बंधित स्टेशन के स्टेशन संचालन नियम में उल्लेक्खित है। इनका कर्तव्यनिष्ठापूर्वक पालन किया जाए।

इसके अतिरिक्त, अनुमोदित विशेष अनुदेशों के अंतर्गत निर्देश के अलावा निम्नलिखित सावधानियाँ बरती जाए:

- वाहनों को रोलिंग डाउन से बचाने के लिए वाहनों को अलग किए जाने से पहले हैंड ब्रेक का उपयोग किया जाए, स्प्रैग/वुडन वेजेस/स्किडों का भी उपयोग किया जाए।
- जहां तक संभव हो, वाहन/लोड/गाड़ी को उस लाइन पर स्टेबल करना चाहिए जो अन्य लाइनों से, विशेषकर चालू लाइनों से पृथक हो।

3. लोड/ गाड़ी संलग्न इंजन के साथ स्टेबल हो अथवा बन्द लाईट इंजन स्टेबल हो, इस मामले में लोको छोड़ने से पहले लोको पायलट/ सहायक लोको पायलट द्वारा की जाने वाली कार्रवाई:

❖ एसए/9 एवं ए/9 दोनो ब्रेकों को लगाया जाना।

❖ हैंड ब्रेक एवं पार्किंग ब्रेक को लगाया जाना।

❖ लोको में उपलब्ध वुडन वेजेस से लोको को सिक्योर करना।

4. लोको पायलट को ड्यूटी के समय लोको को मानवरहित नहीं छोड़ना चाहिए।

- यदि उसे लोको को मानवरहित छोड़ना अपेक्षित हो तो उसे ऐसा तभी करना चाहिए जब स्टेशन मास्टर/ यार्ड़ मास्टर से लिखित प्राधिकार प्राप्त हुआ हो एवं यह सुनिश्चित किया गया हो कि दोनों एसए/9 एवं ए/9 ब्रेक, हैंड/पार्किंग ब्रेक लगाए गए हैं एवं वुडन वेजेस भी लगा कर लोको को सिक्योर किया गया हैं।
- स्टेशन/ यार्ड छोड़ने से पहले लोको पायलट एवं गार्ड को स्टेशन मास्टर के पास रखे स्टेबल लोड सिक्योरिंग रजिस्टर में संयुक्त रुप से यह दर्ज करना चाहिए कि लोड एवं लोको को उपरोक्त अनुसार सिक्योर्ड कर लिया गया है।

5. जब दुर्घटना, विफलता, अवरोध अथवा किसी अन्य कारणवश गाड़ी ब्लॉक सेक्शन में स्टेबल हो तब लोको पायलट/ सहायक लोको पायलट एवं गार्ड द्वारा की जाने वाली कार्यवाही :

- लोको पायलट /सहायक लोको पायलट एवं गार्ड को जी & एस आर के पैरा 6.03 के प्रावधान के अनुसार गाड़ी को सुरक्षित करना चाहिए।
- लोको ब्रेकों (एसए/9, ए/9 एवं हैंड ब्रेक) एवं गाड़ी के दोनों छोर पर कम से कम छ: माल डिब्बो के हैंड ब्रेक लगाकर एवं ढलान की ओर वुडन वेजेस लगा कर गाड़ी को सिक्योर्ड किया जाना चाहिए।
- हैंड ब्रेक का उपयोग सहायक लोको पायलट द्वारा आगे के छोर से एवं गार्ड द्वारा पीछे के छोर से किया जाएगा।

- ☞ यदि गाड़ी गार्ड के बिना परिचालन में हो, तो गार्ड की ड्यूटी की जिम्मेदारी सहायक लोको पायलट की रहेगी।

- ☞ सवारी (यात्री) गाड़ियों के मामले में लोको पायलट द्वारा लगाए जाने वाले लोको ब्रेकों के अलावा गार्ड को भी एसएलआर में हैंड ब्रेकों को लगाना चाहिए।

6. स्टेशन कर्मचारी, गार्ड, क्रू एवं सेक्शन कंट्रोलर को स्टेशनों/ यार्डों/ साइडिंग एवं ब्लॉक सेक्शन की ढलानों से अवगत होना चाहिए।

7. इस संबंध में संबंधित पर्यवेक्षकों द्वारा बार-बार परामर्श देते रहना चाहिए।

8. रेल्वे को स्टेशनों पर स्वीकृत डिजाइनों के स्प्रेग एवं जंजीरें तथा लोको में वुडन वेजेस की पर्याप्त संख्या सुनिश्चित करना चाहिए।

डिस्क्लेमरः

यह स्पष्ट किया जाता है कि यह पैम्फलेट आरडीएसओ, रेल्वे बोर्ड या मूल उपकरण निर्माता द्वारा विनिर्दिष्ट, किसी भी विधान को विस्थापित नहीं करती। यह पैम्फलेट केवल मार्गदर्शन हेतु है एवं यह एक स्टेच्युटरी डॉक्यूमेंट नहीं है।

यदि आपके पास कोई सुझाव या विशेष टिप्पणी है, तो कृपया हमें लिखें:

Dy. Director (Electrical), CAMTECH, Maharajpur, Gwalior (M.P.) – 474 005
Ph.0751-2470740, Fax 0751-2470841
E-mail: direlcamtech@gmail.com